(ग) क्या सी बी० आई० से जुफिया जांच कराने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

इंडियन ऑयल कारपोरेशन के रिकार्ड-कीपरों को वर्दी की सप्लाई न किया जाना

3179. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन की नयी दिल्ली स्थित पाइप लाइन डिवीजन के कार्यालय में ड्राइंग रिकार्ड कीपरों को गत अनेक वर्षों से वर्दियां नहीं दी गयी हैं जबकि उन्हें धुलाई भत्ता दिया जा रहा है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'हां' हो तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन ड्राइंग रिकार्ड कीपरों ने अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में अनेक प्रभाव-वेदन दिये हैं, परन्तु उन सभी शिकायत पत्रों में अंतर्विष्ट आरोप के कारण उन्हें निचले स्तर पर ही दबाया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उपरोक्त भाग (ग) में उल्लिखित शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा कर्मचारियों के नाम और पदनाम क्या है ;

(ङ) क्या उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित ड्राइंग रिकार्ड कीपरों की वर्दियां देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (च) रिफाइनरी और पाइपलाइन प्रभाग की मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ किए गए 1983 के दीर्घावधिक समझौते के अनुसार वर्ष 1984 से 1987 तक के दौरान अन्य कर्मचारियों के साथ ड्राइंग रिकार्ड कीपर को भी वर्दी दी गई थी । दिसम्बर, 1987 में अधिवर्षिता लाभ के लागू किये जाने के साथ ही वर्दीधारी कर्मचारियों की श्रेणी को छोड़कर शेष कर्मचारियों को वर्दी देने की स्कीम को वापस ले लिया गया । इसके अनुसार ड्राइंग रिकार्ड कीपर अब वर्दी के हकदार नहीं हैं ।

ड्राइंग रिकार्ड कीपर को अनजाने में कुछ महीनों तक धुलाई भत्ता दिया गया था और इसे उनसे वसूल कर लिया जाएगा ।

मान्यता प्राप्त यूनियन की मौजूदगी में अभ्यावेदनकर्ता को भी व्यक्तिगत रूप से इस स्थिति के बारे में बता दिया गया था ।

सिलंडरों की सप्लाई में विलम्ब

3180. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के, विशेष रूप से दिल्ली के एल० पी० जी० वितरक एक गैस सिलेंडर वाले उपभोक्ताओं को बुकिंग के कम से कम सात दिन बाद एल० पी० जी० के पुनः भरे सिलेंडर सप्लाई करते रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन एल० पी० जी० वितरकों के नाम तथा पते क्या हैं और पिछले छः महीनों के दौरान पुनः भरे सिलिंडर बुकिंग के चौबीस घंटों के भीतर सप्लाई नहीं करते रहे हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या निवारक उपाय किये जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) अगस्त, 1988 के पहले पखवाड़े में डिलिवरी मैनों की हड़ताल के कारण पूर्वी दिल्ली के कुछ बाजारों में रिफिलों की सप्लाई में कुछ विलम्ब अवश्य हुआ था, परन्तु दिल्ली के अन्य बाजारों में रिफिल सप्लाई की स्थिति मोटे तौर पर सामान्य रही । पूर्वी दिल्ली के ऐसे एल० पी० जी० वितरकों की सूची संलग्न है जिनके पास वर्तमान में चौबीस घंटे से अधिक समय का बैकलाग है ।

(ग) अब डिलीवरी मैनों की हड़ताल खत्म हो चुकी है अतः बैकलाग को शीघ्रता से दूर किया जा रहा है । दो सिलिंडरों (डी० बी० सी०) को जारी किये जाने के मामले में ढील दी गई है और मोहल्ला पर डिलीवरी लेने पर प्रति सिलिंडर दो रुपये की छूट भी प्रभावी है ।

पूर्वी दिल्ली के उन एल० पी० जी० वितरकों की सूची जिनके पास इस समय 24 घंटे से अधिक का बैकलाग है ।

1. मैसर्स अमर गैस सर्विस, 383/सी/1, ईस्ट आजाद नगर, शाहदरा, दिल्ली – 91
2. मैसर्स, बी० एन० गुप्ता एण्ड कं० 81, विश्वास रोड़, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली–32
3. मैसर्स, दिक्षित गैस सेवा, डी–29/6, आचार्य निकेतन, मयूर विहार के सामने, पाकेट, II, नई दिल्ली ।
4. मैसर्स, जी० एस० इन्टरप्राईजेज, 34–ए, शालीमार पार्क एक्स, भोलानाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली–32
5. मैसर्स, जौली गैस सर्विस, के सी-14, कृष्णा नगर, दिल्ली–51
6. मैसर्स, कटारिया गैस सर्विस, 135–ए, पटपड़गंज रोड़, दिल्ली–51
7. मैसर्स, नन्दी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स, 1/9249, गली नं० 7 शाहदरा, दिल्ली
8. मैसर्स, ओ० पी० एजेंसीज 9, निर्माण विहार, सी० एम० सी० मार्केट, दिल्ली–92
9. मैसर्स, शहीद सुभाष गैस सर्विस, पुलिस स्टेशन, के सामने जी० टी० रोड शाहदरा, दिल्ली ।
10. मैसर्स, शिवानिका इंटरप्राइजेज विवेकानन्द महिला कालेज, के पीछे रोड़ नं० 77, विवेक विहार, शाहदरा, दिल्ली–32
11. मैसर्स सुप्रीम इटरप्राइजेज, डी–12, डीडीए, शापिंग सेंटर, विवेक विहार, फेज–I, दिल्ली ।
12. मैसर्स विजय रतन इंटरप्राइजेज शाप नं० बी–27, सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली ।
13. मैसर्स, विशाल गैस सर्विस, 15/863, जी० टी० रोड़ श्याम लाल कालेज, के सामने, शाहदरा, दिल्ली ।
14. मैसर्स, वी० वी० इंटरप्राइजेज, वी–5, शाप नं० 31, लोक शापिंग सेंटर, यमुना विहार दिल्ली–53
15. मैसर्स, साबरवाल इंटरप्राइजेज, साइट नं० 1, ब्लाक, नं० 8 बुद्ध बाजार के नजदीक गीता कालोनी, दिल्ली ।
16. मैसर्स, गांधी नगर गैस सर्विस साइट नं० 2, ब्लाक 8–ए, गीता कालोनी, दिल्ली–31

17. मैसर्स, गौतम इंटरप्राइजेज, 82/1, ए सर्कुलर रोड़, शाहदरा, दिल्ली–32

18. मैसर्स, दामू इंटरप्राइजेज, बी–211, शिलमिल कालोनी, विवेक विहार, दिल्ली–32

19. मैसर्स, शर्मन गैस कं० जागर सदन, सी०/4/15, कृष्णा नगर, दिल्ली–51

20. मैसर्स, किचन केयर, एस–83, स्कूल ब्लाक, शकरपुर, दिल्ली–92

21. मैसर्स, साहनी गैस एजेंसीज, सी/6/1, कृष्णा नगर, दिल्ली

22. मैसर्स, शिव तेज इंटरप्राइजेज, शाप नं० 12 डिफेंस इनक्लेव, ट्रांस यमुना एरिया, दिल्ली–92

23. मैसर्स दिल्ली गैस, डी–328-ए लक्ष्मी नगर, दिल्ली–92

24. मैसर्स गंगा इंटरप्राइजेज, बाबरपुर रोड़, शाहदरा, दिल्ली

Representation from National Tannary Shramik Employees Union

3181. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government had received representation from National Tannary Shramik and Employees Union (CITU), Calcutta urging for immediate constitution of Board of Directors to manage the affairs of the Comany in view of demise of J.G. Kumaramangalam; and

(b) if so, what steps have been taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Memorandum regarding Sarabhai Group of Companies

3182. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether a memorandum dated the 22nd August, 1987 was submitted to the Ministry of Industry by the All India Confederation of Mercantile and Commercial Employees, Calcutta;

(b) whetther the said memorandum dealt with the problems of the Sarabhai group of pharmaceutical companies and its employees;

(c) if so, what are the salient features of the memorandum;

(d) whether Government have taken any steps to solve the problems mentioned in the said memorandum; if so, what are the details thereof; and

(e) whether the Sarabhai group of companies manufacture life saving drugs; if so, whether Government have given priority to sort out the problems listed in the memorandum in view of country's need for life saving drugs?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The memorandum related to the state of affairs in Sarabhai group of companies. It was, *inter-alia*, stated that the companies of Sarabhai group were amalgamated into one corporate entity in 1977, but subsequently split into three specialised autonomous companies, that the group which was one of the fastest growing business house ranking sixth in the list of top 20 industrial houses was struggling for survival and that there was danger to the job security of workers. It was requested that Government should intervene in the affiairs of Sarabhai group